

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-53/2014/32
प्रति,

भोपाल दिनांक / / 2015

1. कलेक्टर,
जिला राजगढ़
2. सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
राजगढ़ ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजगढ़
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नगरपालिका परिषद राजगढ़ ।

विषय :- राजगढ़ विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत।

राज्य शासन ने राजगढ़ विकास 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके संचालनालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

नगर तथा ग्राम निवेश संलग्न :- यथोपरि

संचालक क्रमांक 352
भांक 2413/15
शाखा T.C.

(एस के मुदगल)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल दिनांक 18/3 /2015

पृ0क0-एफ 3-53/2014/32

मुल्लिनिधि :-

आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
18/3/15

Adm/LS

Supnt
25/3/15

विकास प्राध
30/3/15

राजपाल
26/3/15

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 18-3/2014

क्रमांक-एफ-3-53/2014/32 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक -1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट राजगढ़ विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम जुगलपुरा	2/9/3, 2/9/4, 2/10/1/1, 2/10/2/1, 2/10/2/2,	5.966 हेक्टेयर	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग शर्त:- 1. राजगढ़-खुजनेर मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 31.58 मीटर होने के कारण वर्तमान मार्ग मध्य से 15.84 मीटर भूमि मार्ग के लिये छोड़कर किया जाये। 2. प्रश्नाधीन भूमि में स्थित एच टी लाई के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण न किया जाये।
		योग-	5.966 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय राजगढ़ तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(आशीष सक्सेना)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
राजगढ़

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MINISTRY

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 18-3-15

No. F-3-53/2014/32 In exercise of the Powers Conferred by Clause (b) of Sub-section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No. 1 of 2012), The State Government hereby notify The proposal of following modifications for Public information, in the Rajgarh development plan, 2021 as Specified in the Schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No	Village	Khasara No.	Area (in Hac)	Land use specified in the developmen t plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram jugalpura	2/9/3, 2/9/4, 2/10/1/1, 2/10/2/1, 2/10/2/2	5.966 Hec.	Agriculture and road	Residential and road Condition - 1. Proposed road width of rajgarh- khujnar is 31.58 metres hence 15.84 metre shall be left from centre of road. 2. No construction shall be allowed below H.T line situated in land in question .
		Total	5.966 Hec.		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Assistant Director, Town and Country Planning, Rajgarh as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of Publication of this notice. Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of Publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Housing And Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the

Governor of Madhya Pradesh,



(Ashish Saxena)

Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh

Urban Development And Environment
Department

10/3/2013